न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : धारा सिंह मीना, RAS

अपील संख्या 91/2019

1 गोपाल पुत्र गोविन्दराम जाति पारीक निवासी सोला तहसील खण्डेला जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 बिड़दू पुत्र हुक्मा।
2 दुर्गा पुत्री हुक्मा।
3 भगवानी पत्नी गोपाल।
4 प्रभू पुत्र गोपाल।
5 सुरेश पुत्र गोपाल।
6 ओमप्रकाश उर्फ औंकारमल पुत्र कानाराम उर्फ लिछमण।
7 श्यामलाल पुत्र कानाराम उर्फ लिछमण।
8 मनभरी पुत्री कानाराम उर्फ लिछमण।
9 भगवती पुत्री कानाराम उर्फ लिछमण।
10 बिमला पुत्री कानाराम उर्फ लिछमण।
11 मंजू पुत्री कानाराम उर्फ लिछमण समस्त जाति मेघवंशी बलाई निवासीगण ग्राम सोला तहसील खण्डेला जिला सीकर।
12 भूमिधारी तहसीलदार खण्डेला जिला सीकर।
13 पटवारी पटवार हल्का खटून्दरा तहसील खण्डेला जिला सीकर।

रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

अपील विरूद्व निर्णय दिनांक 06.02.2019 मुकदमा नम्बर 06/2019 बउनवानी बिड़दू वगैरह बनाम गोपाल वगैरह न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खण्डेला जिला सीकर अपील अन्तर्गत धारा 225 आरटीएक्ट

उपस्थिति :

1. श्री रामेश्वरलाल बिजारणियां, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री सोहनलाल चौधरी, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

—निर्णय—

दिनांकः— 16-12-2022

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खण्डेला द्वारा मुकदमा नम्बर 06/2019 में पारित निर्णय दिनांक 06.02.2019 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में प्रार्थीगण रेस्पोडेंट ने आवेदन धारा 251ए प्रस्तुत कर खसरा नम्बर 72 वाके ग्राम सोला में से 4 मीटर चौडे रास्ते की मांग की। विचारण न्यायालय ने उभयपक्ष को सुनकर विचाराधीन निर्णय से आवेदन स्वीकार किया इससे व्यथित होकर धारा 5 के आवेदन के साथ यह अपील प्रस्तुत की गई है। दौराने सुनवाई अपील उभयपक्ष ने उपस्थित होकर राजीनामा प्रस्तुत किया राजीनामा इस न्यायालय द्वारा तस्दीक किया गया।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि मुताबिक राजीनामा अपील स्वीकार कर प्रकरण निर्णित किया जावें।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि मुताबिक राजीनामा प्रकरण निर्णित करने में उन्हे ऐतराज नही है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। प्रस्तुत प्रकरण में उभयपक्ष ने उपस्थित होकर राजीनामा प्रस्तुत किया। राजीनामा उभयपक्ष को पढ़कर सुनाया गया। जिसे उभयपक्ष ने सही होना स्वीकार किया। इस पर यह राजीनामा इस न्यायालय द्वारा तस्दीक किया गया।

उभयपक्ष के राजीनामे को दृष्टिगत रखते हुये अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय की पालना में खसरा नम्बर 72 की दक्षिणी सीमा के सहारे–सहारे 4 मीटर चौड़ाई (508 वर्गमीटर भूमि) के रास्ते का अंकन जो खसरा नम्बर 129/72 के रूप में किया गया है इसे राजस्व रिकार्ड एवं मौके पर यथावत रखने के आदेश दिये जाते है। मुताबिक राजीनामा अपीलांट के खेत खसरा नम्बर 72 में रास्ते के रूप में दी गई 508 वर्गमीटर भूमि के बदले रेस्पोडेंट के खेत खसरा नम्बर 70 की पश्चिमी सीमा के सहारे खसरा नम्बर 72 से लगती हुई 508 वर्गमीटर भूमि रेस्पोडेंट के खेत खसरा नम्बर 70 में से कम की जाकर अपीलांट के नाम खातेदारी में दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। विचारण न्यायालय के विचाराधीन निर्णय की पालना में रेस्पोडेंट द्वारा रास्ते के लिये जमा करवाई गई प्रतिकर राशि रेस्पोडेंट को लौटाई जाने के लिये तहसील कार्यालय को निर्देशित किया जाता है। तदनुसार अपील निस्तारित की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 16-12-2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(धारा सिंह मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर